तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलकार की हुक्म की तामील में जारी हुए
	पेश किया जाकर एक प्रति जवाब की प्रार्थीगण अधिवक्ता को दिलायी गई, उभयपक्ष बहस हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है। वास्ते पत्रावली बहस हेतु नियत दिनांक 29.10.20 को पेश हो। आगामी दिनांक तक, जारी अस्थाई निषेधाज्ञा बढ़ाई जाती है।	
	Sd/-	
29/10/20	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो ने प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. 42 बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 5.11.20 को पेश हो।	
	Sd/-	
5/11/20	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का दौरान करते हुए निवेदन किया कि ग्राम कारोलिया खेड़ा पटवार हल्का बेसला तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं. 1859 रकबा 0.1 बिसा व आराजी नं. 1864 रकबा 0.1 बीघा 15 बिस्वा वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है, आराजी नं. 1864 के दक्षिणी दिशा की तरफ बिलानाम जमीन है जिसे हमारी खातेदारी की आराजी नं. 1864 मे मिलाकर हम काश्त करते है परन्तु अप्रार्थी सं. 1 लगायत 05 हम प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी नं. 1864 मे जबरन रास्ता कायम करना चाहते है जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार नही है, अतः मूल वादपत्र के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखने व बिना विधिक आदेश के रास्ता कायम नही करने हेतु पाबंद किया जावे। इसके विरुद्ध अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाब को दोहराते	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.11.11 16:56:56 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एंव विपक्षी सं० 01 की आराजियात के दक्षिण मे आराजी नं. 1858 अवस्थित है जिसमे राजस्व नक्शे मे दर्शित प्रचलित रास्ते से होकर विपक्षी सं० 1 अपनी आराजियात मे सदैव से ही आ-जा रहे है प्रार्थीगण को बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर थोहरो की बाड़ लगा कर अपनी आराजी नं. 1864 मे मिलाने का कोई विधिक अधिकार नही है अ प्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर कोई कब्जा नही करना चाहते है और न ही आराजी नं. 1864 मे कोई नवीन रास्ता कायम करना चाहते है विपक्षीगण की आराजी नं. 1865, 1873 व 1861 अवस्थित है उक्त आराजियात मे आने-जाने हेतु एक मात्र नक्शे मे दर्शित प्रचलित रास्ता उक्त आराजी नं. 1865, 1873 के दक्षिण मे अवस्थित है उक्त आराजियात मे आने-जाने हेतु एक मात्र रेकॉर्डेड रास्ता उक्त आराजी नं. 1865, 1873 के दक्षिण मे अवस्थित बिलानाम आराजी नं. 1858 मे से ही आता जाता है। प्रार्थीगण बिलानाम आराजी नं. 1858 मे अवस्थित प्रचलित रास्ते को अतिक्रमण कर अपनी भूमि मे मिलाना चाहते है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नही है एंव प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की आराजी मे आने-जाने का जो रास्ता अंकित किया है। उक्त रास्ता कभी भी विपक्षीगण की भूमि मे आवागमन का नही रहा है। ऐसी स्थिति मे किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षकारान् की बहस पर मनन किया तथा विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा का अवलोकन किया जिससे यह जाहिर आया कि प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.11.11 16:56:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्राप्त नहीं कर सकते है, बिलानाम जमीन पर कब्जा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति भी नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज करने योग्य समझता हूं। :: आदेश :: अत: आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने मे असफल रहने के कारण पूर्व मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23-07-20 को निरस्त की जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वादपत्र के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.11.11 16:56:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner